राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, कमरा नं0 315, स्वास्थ्य भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

E-mail: drugcontroller1.mh@rajasthan.gov.in
Contact no. 0141-2221760, 2221670

क्रमांक : डीसी/डी–1/2020/937 दिनांक : 11/12/2020

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस

विषयः– प्रतिबंधित घटक युक्त औषधि SOMEE COLD के जब्ती के सम्बंध में।

प्रतिबंधित fixed dose combination युक्त औषधि SOMEE COLD (सिट्रीजीन+फिनाइलएफ्रिन+पेरासीटामोल+ कैफीन+निमेसुलाइड का कॉम्बीनेशन) निर्माता मैसर्स इण्डो गल्फ फार्मास्यूटिकल्स (यूनिट आफ आई0जी0 फार्मा लिमिटेड) रूडकी (यूके) के विक्रय की सूचना प्राप्त होनें पर राज्य के जयपुर, दौसा, अजमेर एवं चित्तौडगढ जिलों में दिनांक 10.12.2020 को संगठन के द्वारा सम्बंधित विक्रेताओं के यहाँ जब्ती की कार्यवाही करवाई गई। चूकि यह कॉम्बीनेशन भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन S.O. 4639(E) दिनांक 07.09.2018 से प्रतिबंधित है।

अतः आप पूरे राज्य में अपने–अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें तथा उक्त के सम्बन्ध पाये गये स्टॉक को जब्त करे एवं अन्य औषधियों के नमूनें भी नियमानुसार जांच हेतु लेवें।

अन्य प्रतिबंधित औषधियों के विक्रय के विषय में भी निगरानी रखते हुए कार्यवाही करें।

11/12/20
औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डीसी/डी–1/2020/937 दिनांक : 11/12/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मय दवाओं की सूची के संलग्न कर प्रेषित हैः–

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. उप औषधि नियंत्रक (उत्तरीय क्षेत्र) सी0डी0एस0सी0ओ0, नोर्थ जोन, गाजियाबाद।
3. राज्य औषधि नियंत्रक, देहरादून, उत्तरांखण्ड को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त निर्माता के स्तर पर आपके स्तर से भी उचित कार्यवाही सम्पादित करवानें का कष्ट करें।
4. The Drugs Controllers, AndhraPradesh/Gujarat/Himachal Pradesh/Pondicherry/Madhya Pradesh/ Uttrakhand/ Assam/ Arunachal Pradesh/Andaman Nicobar/Bihar/Chattisgarh/Daman/Delhi/Dadar & Nagar Haveli/ Maharashtra/Goa/Haryana/Jammu & Kashmir/Jharkhand/Kerala/Lakshadweep/ Manipur/ Meghalaya/ Mizoram/Nagaland/Orissa/Punjab/Sikkim/Tripura/UttarPradesh/West Bengal/Karnataka/ Maharashtra.
5. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा Drugs Control की विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।
7. रक्षित पत्रावली/संबंधित पत्रावली।

11/12/20
औषधि नियंत्रक,
राजस्थान, जयपुर